

न्यायालय:-न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी-धनकुमार कुडोपा)

विविध दांडिक प्रक०क०-16 / 09

संस्थापित दिनांक-09.03.2009

फाईल नं. 233504000222009

1. सगुप्ता खान पति अकरम खान, उम्र 32 वर्ष, जाति मुसलमान,
2. साहिल खान पिता अकरम खान, उम्र 09 वर्ष, ना०बा०वली सगुप्ता खान,
3. कुं. फिजा खान पिता अकरम खान, उम्र 8 वर्ष, ना.वली सगुप्ता,
सभी नि० वार्ड नं. 14 भीमनगर आमला, तह० जिला बैतूल म०प्र०।

----- आवेदिकागण

!! विरुद्ध !!

अकरम खान पिता गुलाबखान, उम्र 42 वर्ष, जाति मुसलमान,
नि-आलमगढ़, पो० चिरापाटला, तह० चिचोली, जिला बैतूल म०प्र०।

----- अनावेदक

-: आदेश :-

{आज दिनांक-14/12/16 को पारित}

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र वास्ते अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं. निराकरण किया जाता है।
- 2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से वर्ष 1998 में मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ। विवाह से एक पुत्री फिजा खान, उम्र 8 वर्ष, एवं पुत्र शाहिल खान, उम्र लगभग 9 वर्ष है, दोनों के मध्य पति पत्नी के संबंध आज भी कायम है। विवाह के समय यह बताया गया था कि अनावेदक शिक्षक है, किन्तु विवाह के बाद जब आवेदिका उसके पति के घर पहुँची तो वहाँ पर अनावेदक सर्विस में नहीं था, विवाह में आवेदिका के माता पिता ने अनावेदक व उसके परिजनों के मांगने पर दहेज दिया था तथा अनावेदक व उसके परिजनों की विवाह के एवज में दहेज की मांग को विवाह के बाद देने का कहा था। विवाह के बाद से ही अनावेदक व उसके परिजन आवेदिका से दहेज में रंगीन टी०वी० कूलर, वाशिंग मशीन व एक लाख रुपये की अवैध मांग करते थे। आवेदिका द्वारा मांग पूरी करने में असमर्थता दिखाने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करते थे आवेदिका के पति मारपीट व लड़ाई झगड़ा करते थे। आवेदिका को घर से निकाल दिया था, मजबूरी में आवेदिका उसके पति के साथ बैतूल व आमला में रही, अनावेदक शराब पीकर लड़ाई

झगड़ा करता था व मारपीट करता था व जान से खत्म करने की धमकी देता था।

3— आगे इस गवाह ने उसके आवेदन में बताया है कि आवेदिका को अनावेदक द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित करने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगी, उससे कोई काम नहीं बनता। अनावेदक को विगत एक माह पूर्व उसकी खानदानी सम्पत्ति में से लगभग ढाई लाख रुपये व जमीन जायदाद मिले हैं। अनावेदक ने ग्राम आलमगढ़ की लूले खां की पुत्री शकीना से दूसरा विवाह कर लिया है और उसकी दूसरी पत्नी के साथ ग्राम आलमगढ़ में रहता है। आमला में आवेदिका व उसके बच्चे को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है, जहां वे तंग हॉल जीवन जीने के विवश हैं। अनावेदक रात्री में फोन लगाकर अश्लील व धमकी भरे फोन करता है तथा बच्चों को जबरन ले जाने की धमकी देता है, कुछ दिन पूर्व ही आवेदिका के बच्चों को जबरन घर से ले जाने का प्रयास किया, आवेदिका मना करने पर उसके व बच्चों को जबरन घर से ले जाने का प्रयास किया, आवेदिका द्वारा मना करने पर उसके व बच्चों के साथ मारपीट की, आवेदिका की जान को खतरा है। आवेदिका को स्वयं व उसके बच्चों के लालन पालन शिक्षा दीक्षा मकान के किराये व अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं के अभाव में आवेदिका व उसके बच्चों का जीना दूभर हो गया है। आवेदिका ने अनावेदक के अत्याचारों की शिकायत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को दिनांक 08/03/09 को की है तथा घरेलु हिंसा तथा महिला संरक्षण के तहत भी दिनांक 06/03/09 को शिकायत दर्ज कराई है। आवेदिका को गेहूँ, चावल, शक्कर, तेल, नमक, मिर्ची, ईंधन, साबून सोडा व मकान के किराये के लिए प्रतिमाह 5000/—रुपये खर्च आता है तथा 2000/— रुपये बच्चों की शिक्षा दीक्षा व ट्यूशन पर खर्च होता है। जिसे आवेदिका वर्तमान में कर्ज लेकर व दूसरों से मांग कर पूरा कर रही है, आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका के दोनों बच्चे कक्षा चौथी में लाईफ कैरियर स्कूल आमला में पढ़ाई करते हैं। आवेदिका बमुश्किल गुजारा कर रही है। बच्चों की फिस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है तथा अनावेदक आवेदिका व उसके बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा है जो आवेदिका के अलग रहने का पर्याप्त व विधिक कारण है।

4— आगे इस गवाह ने उसके आवेदन में बताया है कि अनावेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं, उसके पास गुड्स व्हीकल महिन्द्रा जीप है जिससे वह प्रतिमाह 15,000/—रुपये कमाता है, तथा अनावेदक के पास खानदानी सिंचित कृषि भूमि है जिससे कुल 2 लाख रुपये वार्षिक आय होती है। कृषि भूमि में सभी प्रकार की सब्जियाँ व मौसमी फसलें होती हैं। अनावेदक को पारिवारिक सम्पत्ति से 2.50 लाख रुपये नगद मिले हैं जो वर्तमान में आवेदक के पास है। इस प्रकार आवेदिका ने अनावेदक से 7000/—रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशी प्रदान करने का निवेदन किया है।

5— अनावेदक ने आवेदिका के आवेदन का जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर शेष अभिवचनों को अस्वीकार कर जवाब में व्यक्त किया है कि आवेदिका एवं अनावेदक विवाह के पूर्व से ही एक दूसरे को जानते एवं पहचानते थे तथा इसी कारण से आवेदिका जानती थी कि अनावेदक की नौकरी अस्थायी रूप से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में लगी थी विवाह के लगभग एक वर्ष पूर्व ही अनावेदक को शिक्षक के पद से हटा कर उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। उक्त सारी परिस्थितियों से आवेदिका भली भांति

परिचित थी क्योंकि आवेदिका स्वयं भी उस समय आमला में एक निजी स्कूल गुरुनानक माध्यमिक शाला आमला में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी तथा वर्तमान में भी आवेदिका शिक्षण का कार्य कर रही है। अनावेदक अथवा उसके परिजनों द्वारा आवेदिका या उसके परिवार वालों से किसी भी प्रकार की दहेज संबंधी मांग नहीं की गयी थी जो भी कुछ विवाह के समय दहेज में दिया गया था वह आवेदिका को दिया गया था जो कि वर्तमान में उसका पास आमला में है। आवेदिका के पिता रेल्वे में सर्विस करते थे तथा आवेदिका स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त पढ़ी लिखी महिला है तथा वह शहरी क्षेत्र में पली बड़ी है, इसी कारण विवाह उपरान्त जब वह उसके पति के घर ग्राम आलमगढ़ गई तो उसे वहां का रहन-सहन पसंद नहीं आया और वह तभी से अनावेदक पर आमला या बैतूल शहर में उसके परिवार से अलग मकान लेकर रहने हेतु जोर देने लगी। अनावेदक द्वारा मना करने पर वह अनावेदक से बात-बात पर झगड़ा करने लगी तथा अनावेदक एवं उसकी माता तथा परिवार के अन्य लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार करती थी। इसके अतिरिक्त आवेदिका उसके मायके एक सप्ताह बाद आने का कहकर जाती और महीने दो-दो महीने अनावेदक के घर वापस नहीं आती थी। अनावेदक बड़ी मुश्किल से किसी तरह से आवेदिका को मान मनौबल करके लाता भी था तो वह हप्ता चार दिन साथ रहती और उसके मायके वापस चली जाती थी। अनावेदक ना तो शराब पीता है और ना ही उसके द्वारा शराब पीकर आवेदिका के साथ कभी मारपीट ही की गई है और ना ही उसके द्वारा आवेदिका को जान से खत्म कर देने की धमकी ही दी गई है, इसके विपरीत आवेदिका एवं उसकी माँ और भाई लोग अनावेदक को उसके परिवार से अलग आमला में चलकर रहने के लिये दबाव डालते थे और अपनी जमीन आवेदिका के नाम पर करने के लिये दबाव डालते थे वरना अनावेदक के साथ मारपीट करने और पुरे परिवार को दहेज के झूठे मामले में फंसाने की धमकियाँ दिया करते थे।

6— आगे इस गवाह ने उसके जवाब में बताया है कि आवेदिका एक उच्च शिक्षा प्राप्त पढ़ी लिखी महिला होने के साथ ही पूर्व में आमला में एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी, जहां पर उसे 5000/-रुपये वेतन प्राप्त होता था तथा वर्तमान में वह भीमनगर आमला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है तथा उसे 2500/-रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। आवेदिका पूर्व में एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी जहां पर उसे 5000/-रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था तथा वर्तमान में वह भीमनगर आमला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है तथा उसे 2500/-रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। आवेदिका मात्र उसकी जिद्द व गांव में अनावेदक के साथ जीवन व्यतीत ना करने की अनुचित जिद्द के कारण अनावेदक से लगभग 6 वर्षों से अलग रह रही है। घर में ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करती है जिससे उसे 10,000/-रुपये की आय होती है तथा घर में सिलाई बुनाई एवं कढ़ाई का काम भी करती है। जिससे लगभग 5000/-रुपये महीना प्राप्त होते हैं, इस प्रकार आवेदिका उक्त आमदानी से अपना तथा अपने बच्चों का गुजर बसर आसानी से कर सकती है। आवेदिका एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा ही अनावेदक को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दी गई है।

7— आगे इस गवाह ने उसके जवाब में बताया है कि आवेदिका वर्तमान में भीमनगर आमला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है। आवेदिका एक साधन

सम्पन्न एवं नौकरी पेशा महिला है और वह उसका एवं उसके बच्चों का गुजर बसर करने में पूर्णतः सक्षम है, इसके विपरीत अनावेदक एवं बेरोजगार कृषि मजदूर व्यक्ति है तथा कृषि मजदूर के रूप में अपना गुजर बसर करता है उसके पास आय के अन्य कोई स्रोत नहीं है और चूंकि आवेदिका अपनी मर्जी से अनावेदक से अलग अपने माता पिता के साथ रह रही है, तो वह ऐसी स्थिति में भरण पोषण का खर्च पाने की अधिकारी नहीं है।

8— आगे इस गवाह ने अपने जवाब के विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक की पत्नी आवेदिका आमला में एक प्रायवेट स्कूल में शिक्षिका थी इसी कारण से वह आमला में ही निवास करती थी अनावेदक आमला आता जाता था बीच में आवेदिका ने नौकरी छोड़ दी थी तब अनावेदक ने आवेदिका से आलमगढ़ आकर रहने के लिए कहा किन्तु आवेदिका ने आलमगढ़ आकर रहने से साफ इन्कार कर दिया और अनावेदक से कहा कि वह ही आमला आकर उसके पास रहे। आवेदिका की बातों में आकर अनावेदक आमला में किराये का मकान लेकर रहने लगा, किन्तु अनावेदक का सारा कृषि संबंधी कार्य आलमगढ़ में होने के कारण वह आमला में नहीं रह सकता था इस लिये उसने पुनः आवेदिका को उसके साथ आलमगढ़ चलकर उसके साथ रहने के लिए कहा परन्तु आवेदिका नहीं मानी और दिनांक 22/08/2001 को आवेदिका अपना पुरा सामान लेकर अपने मायके चली गई तथा अनावेदक के साथ रहने से साफ इन्कार कर दिया। आवेदिका अपने माँ पिता एवं भाई के बहकावे में आकर अनावेदक को दहेज के झूठे प्रकरण में फंसा दिये जाने की धमकियाँ दिया करती थी। अनावेदक के सास एवं साले भी अनावेदक को दहेज मांगने के लिए झूठे इल्जाम में बंद करवाने की धमकियाँ देते थे। उक्त आधारों पर आवेदिका का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

9— **न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-**

- 1— क्या आवेदिका अनावेदक की विवाहित पत्नी है उनसे उत्पन्न संतान साहिल खान, कु. फिजा खान है?
- 2— क्या आवेदिका स्वयं का एवं उसका पुत्र साहिल खान एवं पुत्री कुं. फिजा का भरण पोषण करने में असमर्थ है?
- 3— क्या आवेदिका एवं उसके पुत्र पुत्री पर्याप्त कारणों से प्रथक निवास कर रही है?
- 4— क्या अनावेदक आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति हैं?
- 5— क्या आवेदिका स्वयं और पुत्र साहिल खान पुत्री फिजा खान अनावेदक से भरण पोषण राशि पाने का अधिकारी है?

सकारण निष्कर्ष **विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण**

10— आवेदिका साक्षी सगुप्ता खान (आ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका विवाह अनावेदक से वर्ष 1998 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न

हुआ था। विवाह से एक पुत्री फिजा खान उम्र 10 वर्ष एवं पुत्र साहिद खान उम्र 8 वर्ष हैं। अनावेदक ने अपने जवाब की कंडिका 1 में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है कि साथ ही अनावेदक साक्षी अकरम खान (अना०सा०-1) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि फिजा और साहिल उसके बच्चे हैं।

11— आवेदिका साक्षी फिजा (आ०सा०-2) एवं साहिल (आ०सा०-3) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि अकरम उनके पिता हैं सगुप्ता उनकी माता हैं साहिल और फिजा दोनों भाई बहन हैं। इस प्रकार आवेदिका साक्षी सगुप्ता आवेदिका साक्षी फिजा आवेदिका साक्षी साहिल की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक अकरम खान आवेदिका के पति हैं एवं उन दोनों के वैवाहिक जीवन से उत्पन्न संतान पुत्री फिजा खान एवं पुत्र साहिल खान हैं। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण

12— आवेदिका साक्षी सगुप्ता (आ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आवेदिका को गेंहू, चावल, शक्कर, तेल, नमक, मिर्ची ईंधन, साबून, सोडा व मकान के किराये के लिए प्रतिमाह 5000/-रुपये खर्च आता है तथा 2000/-रुपये बच्चों की शिक्षा दीक्षा व ट्यूशन पर खर्च होता है। जिसे आवेदिका वर्तमान में कर्ज लेकर व दूसरों से मांग कर पूरा कर रही है। आवेदिका के आय का कोई साधन नहीं है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि जिससे उसका रिश्ता हुआ था उस समय गुरुनानक स्कूल आमला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि प्रायवेट स्कूल में डेलीविजेस पर थी। अर्थात् रिश्ते के समय वह प्रायवेट स्कूल में अस्थाई रूप से कार्य करती थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में अस्वीकार किया है कि उसकी एस.टी.डी. पी.सी.ओ. की दुकान है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात भी प्रायवेट स्कूल में शिक्षिका का कार्य करती थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने बीच में नौकरी छोड़ दी थी तो अनावेदक ने उसे आलमगढ़ चलने के लिए कहा था और वे आलमगढ़ में रहते थे।

13— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में स्वीकार किया है कि आदेश दिनांक 18/12/09 के तहत आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हुई थी। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उसके पति ने उसे नौकरी के लिए शिकायत की थी कि उसे नौकरी न मिले। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि प्र०डी० 1 का दस्तावेज उसकी नौकरी संबंधी है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि तभी से वह आंगनवाडी के कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि ढाई हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होता था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि छै-छै: माह का मानदेय प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि आवेदिका आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है और उसे प्रतिमाह ढाई हजार रुपये वेतन प्राप्त होता है।

14— आवेदिका साक्षी फिजा (आ०सा०-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

उसकी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती है। वह कोई काम नहीं करती है केवल स्कूल जाती है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया कि उसकी माँ आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि 7-8 साल पहले उसकी मम्मी गुरुनानक स्कूल में पढ़ाती थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि आवेदिका साक्षी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है।

15— अनावेदक साक्षी अकरम खान (अ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी पत्नी पहले शिक्षक थी और वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। उसकी पत्नी की एस.टी.डी. दुकान है वह सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कार्य करती है और ट्यूशन करती है उसकी पत्नी लगभग 20 हजार रुपये महिना कमाती है। स्वयं आवेदिका श्रीमति सगुप्ता की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि वह आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है और वह ढाई हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती है। किन्तु अनावेदक की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं कि आवेदिका सिलाई बुनाई कढ़ाई व ट्यूशन करती है और उसकी एस.टी.डी. की दुकान है जिससे वह आय अर्जित करती है। साथ ही अनावेदक की ओर से जो प्र०डी० 1 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसमें एकीकृत परियोजना बाल विकास परियोजना में पद कार्यकर्ता मानदेय 2500/-रुपये प्राप्त होता है यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है। किन्तु स्वयं आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में स्वतः कहा है कि बढ़ा दिया है संभवतः 4500/-रुपये मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर रहते हुये आय अर्जित करती है।

16— आवेदिका एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि श्रीमति सगुप्ता खान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 4500/-रुपये आय अर्जित करती है किन्तु उक्त आय स्वयं आवेदिका एवं उसके पुत्र पुत्री को भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं मानी जा सकती। क्योंकि वर्तमान में जिस हिसाब से मंहगाई की दर में वृद्धि हुई है। साथ ही आवेदिका को उसकी एक पुत्री फिजा एवं पुत्र साहिल की अच्छी शिक्षा एवं दैनादिनी आवश्यकताओं और जिस हिसाब से आमला नगर पालिका में निवास कर रही है उस हिसाब से 4500/-रुपये की आय सक्षम नहीं मानी जा सकती। उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत मीनाक्षी विरुद्ध चितरंजन ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 1377 में प्रतिपादित किया गया है कि पत्नी आय अर्जित करती थी लेकिन वह आय पर्याप्त नहीं थी इसलिए उसे भरण पोषण का पात्र माना गया। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत चतुरभुज विरुद्ध सीताबाई ए.आई.आर. 2008 एस.सी. के अनुसार यदि पत्नी जीने के लिए कुछ कमा रही है तो यह भरण पोषण से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता, पत्नी पति के साथ जैसा जीवन गुजारती थी वैसा ही स्तर उसे अलग रहने पर मिलना चाहिए। इस प्रकार आवेदिका को यदि अपनी जीवन स्तर गुजारने के लिए वह कुछ कमा रही है तो उसे आय अर्जित कर उसे स्वयं का एवं अपने पुत्र पुत्री का भरण पोषण करने के लिए समर्थ व्यक्ति नहीं माना जा सकता। इस प्रकार आवेदिका एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह स्वयं का एवं उसके पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण

17— आवेदिका साक्षी सगुप्ता (आ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि विवाह के बाद से ही अनावेदक व उसके परिजन आवेदिका से दहेज में कलर टी.वी. वासिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, व एक लाख रुपये नगद धनराशि की अवैध मांग करते थे। मांग पूरी करने में असमर्थता दिखाने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आवेदिका के पति हमेशा मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। आवेदिका के बच्चों को भी मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। आवेदिका ने इसकी कई शिकायतें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को की, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आवेदिका को अनावेदक द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित करने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगी उसमें कोई काम नहीं बनता। अनावेदक को विगत एक माह पूर्व उसकी खानदानी सम्पत्ति में से लगभग ढाई लाख रुपये व जमीन जायदाद मिले। अनावेदक ने ग्राम अलीगढ़ की लूले खों की पुत्री शकीना से दूसरा विवाह कर लिया है और उसकी दूसरी पत्नी के साथ ग्राम आलमगढ़ में रहता है। आमला में आवेदिका व उसके बच्चे को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है जहां वे तंग हाल जीवन जीने को विवश है। अनावेदक रात्रि में में फोन लगाकर अश्लील व धमकी भरे फोन करता है तथा बच्चों को जबरन ले जाने की धमकी देता है। कुछ दिन पूर्व की आवेदिका के बच्चों को जबरन घर ले जाने का प्रयास किया, आवेदिका द्वारा मना करने पर उसके व बच्चों के साथ मारपीट की आवेदिका को जान से खतरा है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है।

18— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में अस्वीकार किया है कि अनावेदकगणों ने विवाह के पूर्व दहेज नहीं मांगा था। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उन्होंने दहेज मांगा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि अनावेदक व उसके परिवार वाले उससे विवाह के एवज में दहेज की मांग कर रहे थे। अर्थात् आवेदिका से विवाह के समय दहेज की मांग की गई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में स्वीकार किया है कि दहेज की मांग की पूर्ति न करने पर अनावेदक द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने की शिकायत पुलिस में नहीं की स्वतः कि वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। अर्थात् अनावेदक द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदिका श्रीमति सगुप्ता के साथ मारपीट की जाती थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में अस्वीकार किया है कि अनावेदक ने कभी भी शराब नहीं पिया और वह मारपीट नहीं करता था। अर्थात् अनावेदक आवेदिका के साथ शराब पीकर मारपीट करता था।

19— आगे इस गवाह ने प्रश्न किया गया है कि ऐसा कोई दस्तावेज या निकाहनामा जो कि अनावेदक के दूसरे विवाह करने के संबंध में हो आपने इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसने बच्चे के जन्म संबंधी प्रमाण पत्र पेश किया है। आगे गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि अकरम की बीबी के जन्म से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है जिसमें माता का नाम शकीना लिखा हुआ है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जो जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है वह निकाहनामा का सबूत नहीं है वह बच्चे के जन्म

प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वह उसके पति द्वारा दुसरी शादी करने के उपरांत ही उससे अलग रह रही है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा दूसरा विवाह सकीना नाम की महिला से विवाह किया है जिससे एक पुत्री भी है भले ही अनावेदक के द्वारा दूसरी पत्नी के संबंध में निकाहनामा पेश नहीं किया है। साथ ही अकरम खान एवं उसकी दूसरी पत्नी सकीना से उत्पन्न संतान की जो फोटो प्रति प्रस्तुत की है उसे प्रदर्शित कराना आवश्यक नहीं है किन्तु उक्त दस्तावेज से यही माना जायेगा कि अनावेदक अकरम खान ने दुसरा विवाह कर दुसरी पत्नी रखा है।

20— माननीय न्याय दृष्टांत राधामणी विरूद्ध मोनू 1986 सी.आर.एल.जे. 1129 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थी को अपना मामला अधिसंभावना की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करना होता है युक्ति-युक्त संदेह से परे तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता है। माननीय न्याय दृष्टांत द्वारका प्रसाद विरूद्ध विधुत प्रवाह दीक्षित 2000 सी.आर.एल.जे. में यह प्रतिपादित किया गया है कि इन मामलों में विवाह का कठोर प्रमाण आवश्यक नहीं होता प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होना चाहिए कि प्रार्थी और प्रतिप्रार्थी पति पत्नी की तरह रहते हैं आवश्यक अनुष्ठान प्रमाणित न होना घातक नहीं है।

21— इस प्रकार यह माना जावेगा कि अनावेदक ने दुसरी पत्नी सकीना नाम की महिला से विवाह कर उसके साथ निवास कर उनकी एक पुत्री के साथ वह निवास कर रहे हैं जो कि आवेदिका को प्रथक रहने का पर्याप्त कारण है। आगे सगुप्ता खान (आ०सा०१) ने अपने शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि अनावेदक रात्रि में फोन लगाकर अश्लील धमकी भरे फोन करता है तथा बच्चों को जबरन ले जाने की धमकी देता है कुछ दिन पूर्व ही आवेदिका के बच्चों को जबरन घर ले जाने का प्रयास किया उसके मना करने पर उसक साथ मारपीट की आवेदिक की जान को खतरा है। उक्त संबंध में अनावेदक की आरे से कोई खंडन नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका और उसके बच्चों को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है जो कि आवेदिका को अनावेदक से प्रथक निवास करने का पर्याप्त कारण है।

22— अनावेदक अकरमखान (अना०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी पत्नी को अलग रहने का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है खेती करते हैं कच्चा मकान है उसकी पत्नी पहले शिक्षक थी और वर्तमान में आंगनवाडी में कार्यकर्ता के रूप में काम करती है किन्तु अनावेदक ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसने दूसरा विवाह नहीं किया है और न ही दुसरी पत्नी से उत्पन्न संतान के संबंध में भी इंकार किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक ने दुसरा विवाह कर लिया है इस कारण वह पहली पत्नी आवेदिका एवं उन दोनों से उत्पन्न संतान के साथ निवास नहीं कर रहा है। स्वयं आवेदिका की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है और चार हजार रुपये आय अर्जित करती है यदि वह आमला में रहकर उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की देखरेख एवं अच्छी शिक्षा हेतु आमला में रखना चाहती है और उसकी नौकरी

आमला में ही है तो इस हेतु अनावेदक को भी उसकी पत्नी सगुप्ता के साथ निवास करना चाहिए। क्योंकि अनावेदक अकरम खान ने अपनी साक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया है कि वह कृषि करता है और मजदूर है मजदूरी तो उसे भी आमला में मिल सकती है। इस प्रकार यही माना जायेगा कि आवेदिका को अनावेदक से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है।

23— अनावेदक साक्षी अकरम खान (अना0सा01) ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है कि उसके पर उसके माता पिता का भार भी है जिससे वह आमला में निवास नहीं कर सकता है या उसके माता पिता को साक्ष्य के रूप में पेश कर यह प्रमाणित कर सकता था कि वह पर्याप्त कारणों से उसकी पत्नी से अलग रह रहा है या उसने दुसरा विवाह नहीं किया है। अनावेदक अकरम खान का भी सबूत का भार है यदि उसने दुसरा विवाह नहीं किया है तो वह स्वयं ही यह साबित कर सकता है और ऐसी ठोस साक्ष्य पेश कर सकता है जिसमें उसे अकेले निवास करते हुये देखा है। उसके साथ दुसरी कोई महिला पत्नी के रूप में निवास नहीं करती है किन्तु उक्त संबंध में अनावेदक अकरम खान ने कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यही माना जायेगा कि अनावेदक अकरम खान ने दुसरा विवाह कर दुसरी पत्नी के साथ निवास कर रहा है। इस कारण आवेदिका एवं उसके पुत्र एवं पुत्री अनावेदक अकरम खान से पर्याप्त कारण से पृथक निवास कर रहे हैं।

24— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आवेदिका आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता है और वह उसके बच्चों के साथ आमला में निवास कर रही है। अनावेदक अकरम खान के द्वारा दुसरा विवाह कर दुसरी पत्नी के साथ निवास कर रहा है साथ ही आवेदिका एवं उसके बच्चों के साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है जिससे यही माना जायेगा कि आवेदिका अनावेदक से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण

25— आवेदिका साक्षी सगुप्ता खान (आ0सा01) ने बताया है कि अनावेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं, उसके पास गुड्स व्हीकल महिन्द्रा जीप है जिससे वह प्रतिमाह 15,000/-रुपये कमाता है तथा अनावेदक के पास खानदानी सिंचित कृषि भूमि है जिससे कुल 2 लाख रुपये वार्षिक आय होती है। कृषि भूमि सभी प्रकार की सब्जियाँ व मौसमी फसलें होती है। अनावेदक को पारिवारिक सम्पत्ति से 2.50 लाख रुपये नगद मिले हैं जो वर्तमान में अनावेदक के पास है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में स्वीकार किया है कि अनावेदक ने कृषि कार्य की वजह से आलमगढ़ चलकर रहने के लिए कहा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 18 में स्वीकार किया है कि गाड़ी और कृषि से संबंधित दस्तावेज उसने पेश नहीं किया है। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उक्त दस्तावेज अनावेदक के पास है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि भले ही आवेदिका ने कृषि से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया है, किन्तु जो प्रतिपरीक्षा की

कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि आलमगढ़ चलकर कृषि कार्य करने के लिए कहता था। अर्थात् अनावेदक कृषि करता है और उससे भी आय अर्जित करता है। साथ गुड्स व्हीकल के संबंध में स्वयं अनावेदक ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में स्वीकार किया है कि गुड्स व्हीकल का संचालन करता है। इस प्रकार इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह 15 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित नहीं करता है।

26— आवेदिका साक्षी फिजा (आ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पापा खेती करते हैं उसके पापा के पास ट्रैक्टर और किराने की दुकान भी है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि पापा का ट्रैक्टर है किराने की दुकान है पिकप है जो उसने नहीं देखा है। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि पापा ने फोन पर कहा था कि उसने दुकान वगैरह डाली है ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिया है। उसी प्रकार आवेदिका साक्षी साहिल (आ०सा०३) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पापा बता रहे थे कि उनके पास खेत है टाटा मैजिक है ट्रक है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसने अभी जो बताया है कि उसके पापा के पास मैजिक है ट्रक है ट्रैक्टर पिकप है वह उसने नहीं देखा है किन्तु स्वयं अनावेदक ने जो प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में स्वीकार किया है कि गुड्स व्हीकल का संचालन करता है उक्त तथ्य से यही स्पष्ट होता है कि अनावेदक माल वाहक अर्थात् पिकप गाड़ी का संचालन करता है जिससे यही माना जायेगा कि वह गुड्स व्हीकल से 15 हजार रुपये की आय अर्जित करता है।

27— अनावेदक अकरम खान (अना०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी पत्नी पहले शिक्षक थी और वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है उसकी पत्नी की एस.टी.डी. की दुकान है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कार्य करती है और ट्यूशन भी करती है जिससे उसकी पत्नी लगभग 20 हजार रुपये महीना कमाती है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि उसने उसकी पत्नी 20 हजार रुपये कमाती है का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है उसकी पत्नी के पास एस.टी.डी. की दुकान है इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी शिक्षक होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। आगे यह स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी आंगनवाड़ी में कार्य करती है। उसके दस्तावेज पेश किया है। इस प्रकार इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है और वह शिक्षक का कार्य नहीं करती है उसके पास एस.टी.डी. की दुकान नहीं है और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का भी कार्य नहीं करती है। इस संबंध में अनावेदक ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

28— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में स्वीकार किया है कि वह गुड्स व्हीकल का संचालन करता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे कोई बिमारी नहीं है। अर्थात् माल वाहक गाड़ियों से अनावेदक अकरम खान 15 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है और वह एक स्वस्थचित व्यक्ति है। उसे कोई बिमारी नहीं है। अतः उसे आय अर्जित करने वाला सक्षम व्यक्ति है यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 05 का निराकरण

29— विचारणीय प्रश्न क्रं 1 से यह स्पष्ट है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहित पत्नी है उनसे उत्पन्न संतान साहिल खान, कुं. फिजा खान है और विचारणीय प्रश्न क्रं 2 से यह स्पष्ट है कि आवेदिका स्वयं का एवं उसका पुत्र साहिल खान एवं पुत्री कुं. फिजा का भरण पोषण करने में असमर्थ है और विचारणीय प्रश्न क्रं 3 से यह स्पष्ट हो चुका है कि आवेदिका एवं उसके पुत्र पुत्री पर्याप्त कारणों से प्रथक निवास कर रहे हैं और विचारणीय प्रश्न क्रं 4 से भी यह स्पष्ट है कि गुड्स व्हीकल का संचालन करता है अनावेदक 15,000/—रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में आवेदिका स्वयं और पुत्र साहिल खान पुत्री फिजा खान अनावेदक से भरण पोषण राशि पाने का अधिकारी है।

30— वर्तमान में आवेदिका सगुप्ता खान (अ०सा०१) आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुये आय अर्जित कर रही है किन्तु अनावेदक अकरम खान गुड्स व्हीकल के संचालन से 15 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति है आवेदिका श्रीमति सगुप्ता खान एवं उसके पुत्र साहिल खान पुत्री कुं. फिजा खान के आर्थिक, सामाजिक, परिवेश को दृष्टिगत रखते हुये एवं वर्तमान में मंहगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये और जिस हिसाब से आवेदिका तहसील आमला नगर पालिका में निवास करती है तो उसके दैनादिनी को खर्च को देखते हुये। आवेदिका सगुप्ता खान को अनावेदक से 1000/—रुपये भरण पोषण राशि, आवेदिका क्रं. 2 साहिल खान एवं आवेदिका क्रं. 3 कुं. फिजा को 2000/—, 2000/—रुपये की राशि आवेदन दिनांक से अनावेदक अकरम खान अदा करें और उक्त राशि साहिल खान को व्यस्क होने तक एवं कुं. फिजा खान का विवाह होने तक प्राप्त करेंगे। अनावेदक अकरम खान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उक्त राशि प्रदान करें। अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत धारा 125 द०प्र०सं० का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

धनकुमार कुडोपा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

धनकुमार कुडोपा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

